भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3769

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

कार्य-निष्पादन अनुदान जारी करना

†3769. श्रीमती कनिमोझी:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए लंबित कार्य-निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु को ग्रामीण विकास हेतु आबंटित अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार समय पर कार्य-निष्पादन अनुदान जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) जी, हां। विवरण **अनुबंध I** में दिए गए हैं। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान जारी करने की सिफारिश के लिए राज्य में स्थानीय निकायों का चुनाव एक पूर्व शर्त है, यह तमिलनाडु के लिए अक्टूबर, 2016 से लंबित है।

(ग) विवरण **अनुबंध II** में दिए गए हैं।

(घ) चुनाव द्वारा विधिवत गठित ग्राम पंचायतें न होने के कारण, वित्त वर्ष 2016-17 के बाद तमिलनाडु राज्य को एफएफसी कार्य निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा नहीं की जा सकी है।

******

अनुबंध I

दिनांक 16-07-2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3769 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के कार्य निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन का विवरण

क्रम संख्या	पत्र संदर्भ	से प्राप्त किया गया	के नाम
1	अ.शा.पत्र दिनांक 5-6-2017	श्री के.शणमुगम,अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तमिलनाडु सरकार	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
2	अ.शा.पत्र दिनांक 3-8-2017	श्री के.शणमुगम,अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तमिलनाडु सरकार	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
3	अ.शा.पत्र दिनांक 28.2.2018	श्री एस.पी.वेलुमणि, माननीय मंत्री, नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास तमिलनाडु	माननीय मंत्री, पंचायती राज
4	अ.शा.पत्र दिनांक 21.3.2018	श्री इडडापड्डी के.पलानीस्वामी माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु	माननीय प्रधानमंत्री
5	अ.शा.पत्र दिनांक 2.5.2018	श्री इडडापड्डी के.पलानीस्वामी माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु	माननीय प्रधानमंत्री
6	अ.शा.पत्र दिनांक 28.8.2018	श्री एस.पी.वेलुमणि, माननीय मंत्री, नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास तमिलनाडु	माननीय मंत्री, पंचायती राज
7	अ.शा.पत्र दिनांक 1-11-2018	श्री के.शणमुगम,अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) तमिलनाडु सरकार	सचिव, पंचायती राज
8	अ.शा.पत्र दिनांक 27.12.2018	श्री एस.पी.वेलुमणि, माननीय मंत्री, नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास तमिलनाडु	माननीय मंत्री, पंचायती राज
9	अ.शा.पत्र दिनांक 11.06.2019	श्री एस.पी.वेलुमणि, माननीय मंत्री, नगरपालिका प्रशासन और ग्रामीण विकास तमिलनाडु	माननीय मंत्री, पंचायती राज

<u>अनुबंध II</u>

दिनांक 16-07-2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3769 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदानों का आवंटन

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
आवंटन	866.84	947.65	1484.31	1710.90	1975.07	2659.50

2. पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए), क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान (सीबी-पीएसए) और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)योजनाओं के तहत आवंटन।

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
आवंटन	54.10	18.26	55.48	53.70	96.00	158.65

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम),दीनदयाल उपाध्याय -ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत आवंटन

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष/कार्यक्रम	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
मनरेगा	3781.33	5470.37	4552.78	5831.66	4951.66
पीएमएवाई-जी	291.72	230.69	1320.41	975.04	157.25
पीएमजीएसवाई	239.65	205.00	309.58*	636.39*	619.14*
डीएवाई-एनआरएलएम	73.29	26.02	17.97	94.20	130.95
डीडीयू-जीकेवाई	0.00	43.90	25.91	0.00	52.91
आरएसईटीआई	0.00	3.17	0.00	0.00	3.09
एनएसएपी	438.90	730.18	486.73	632.19	636.11

*वित्तीय प्रोत्साहन सहित